

mailed to all
courts on 16/5

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर (म.प्र.)

// संशोधित विविध आदेश //

क्रमांक-21 / एक-2-1 / 2011

अनूपपुर, दिनांक 15.05.2023

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक 477/गोपनीय /2023 जबलपुर, दिनांक 13.05.2023 के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के पदोन्नति उपरांत स्थानांतरण के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 15 एवं 21(4) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला अनूपपुर के लिए वर्ष 2023 हेतु संशोधित कार्य विभाजन पत्रक निम्नानुसार जारी किया जाता है :-

व्यवहार कार्य

क.	नाम न्यायालय	क्षेत्राधिकारी	कार्य विभाजन
1	2	3	4
1	प्रधान जिला न्यायाधीश	तहसील- अनूपपुर, जैतहरी	1 जिला मुख्यालय में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा नियमित व्यवहार-वादों में पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत नियमित/विविध व्यवहार अपीलें। 2 तहसील अनूपपुर, जैतहरी, पुष्पराजगढ़ एवं कोतमा के अंतर्गत उत्पन्न वाद-कारण से संबंधित रूपये बीस करोड़ से अधिक मूल्यांकन वाले व्यवहार-वाद। 3 धारा 16(2) जागीर एवं लैण्ड रिफार्म्स एक्ट 1952 के अंतर्गत वाद। 4 इन्सालवेंसी केसेस रूपये पन्द्रह लाख से अधिक तथा तहसील कोतमा एवं तहसील पुष्पराजगढ़ से संबंधित बीस लाख से अधिक के प्रकरण। 5 लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत वाद एवं रिफ्रेन्स। 6 लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत स्टेट ऑफीसर के आदेश के विरुद्ध अपील (अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्राधिकृत) 7 रेन्ट कंट्रोल अथॉरिटी के आदेश के विरुद्ध अपील। 8 आर्बीट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पन्द्रह लाख से अधिक मूल्य के प्रकरण तथा तहसील कोतमा, पुष्पराजगढ़ से संबंधित बीस लाख से अधिक के प्रकरण एवं इनसे संबंधित विविध-वाद एवं निष्पादन। 9 गॉर्जिएन एण्ड वाड्स एक्ट के अंतर्गत वाद। 10 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालयों में पारित आदेश के विरुद्ध अपीलें।

			11 चुनाव याचिका अंतर्गत धारा 307(5) म.प्र. नगरपालिका निगम एक्ट 1956 के अंतर्गत।
			12 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत याचिका।
			13 म.प्र. म्युनिसिपल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 172(2) के अंतर्गत अपील।
			14 धारा 26 म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका।
			15 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 68 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट अथवा अति. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील।
			16 अन्य विशेष अधिनियम एवं लोकल एक्ट के प्रकरण जो अन्य न्यायालयों को अधिकृत नहीं किये गये हैं तथा प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हो।
2	जिला न्यायाधीश प्रथम, अनूपपुर	तहसील- अनूपपुर एवं जैतहरी	1 इन्सालवेंसी केसेस रूपये एक से पंद्रह लाख तक।
			2 नियमित व्यवहार-वाद रूपये दस करोड़ से अधिक एवं रूपये बीस करोड़ तक एवं इनसे संबंधित निष्पादन।
			3 आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रूपये दस लाख से अधिक से एवं रूपये पन्द्रह लाख तक एवं उनसे संबंधित विविध वाद निष्पादन।
			4 लघुवाद प्रकरण रूपये पांच सौ से अधिक।
			5 समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए गए अपील प्रकरण एवं अन्य प्रकरण।
3	जिला न्यायाधीश द्वितीय, अनूपपुर	तहसील- अनूपपुर एवं जैतहरी	1 नियमित व्यवहार वाद रूपए एक करोड़ से अधिक एवं रूपये दस करोड़ तक के तथा उनसे उत्पन्न विविध वाद एवं निष्पादन।
			2 लोकल एक्ट के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील।
			3 म.प्र.म्युनिसिपल एक्ट 1961 की धारा 172 (3) के अधीन अपील।
			4 आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रूपये पांच लाख से अधिक एवं रूपये दस लाख तक एवं उनसे संबंधित विविध वाद निष्पादन।
			5 समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए गए अपील एवं अन्य प्रकरण।

4	जिला न्यायाधीश, राजेन्द्रग्राम	तहसील- पुष्पराजगढ़	<p>1 समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत नियमित/विविध व्यवहार अपीलें।</p> <p>2 नियमित व्यवहार वाद रूपये एक करोड़ से अधिक एवं रूपये बीस करोड़ तक के तथा उनसे उत्पन्न विविध वाद एवं निष्पादन।</p> <p>3 आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रूपये दस लाख से अधिक एवं रूपये पन्द्रह लाख तक एवं उनसे संबंधित विविध वाद निष्पादन।</p> <p>4 भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम एवं जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के अन्य दाम्पत्य विवाद, जो तहसील राजेन्द्रग्राम की सीमा के उत्पन्न वाद (प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय अनूपपुर के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)</p> <p>5 लोकल एक्ट के अंतर्गत व्यवहार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील।</p> <p>6 व्यवहार-वाद अंतर्गत धारा 92 सी.पी.सी.</p> <p>7 म.प्र. म्युनिसिपल एक्ट 1961 की धारा 172 (3) के अधीन अपील।</p> <p>8 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलें।</p> <p>9 लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के वाद एवं रिफ्रेन्सेस।</p> <p>10 रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी के आदेश के विरुद्ध अपील।</p> <p>11 गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत वाद।</p> <p>12 इन्सालवेंसी केस रूपये दस लाख से अधिक रूपये बीस लाख तक।</p> <p>13 तहसील पुष्पराजगढ़ क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील (अधिनियम की धारा 9 के अनुसार)।</p> <p>14 समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए गए अपील एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>15 अन्य दावे, कार्यवाहियां या अपीलें, जो तहसील पुष्पराजगढ़ के क्षेत्राधिकार के उत्पन्न हुए हों तथा इस आदेश के द्वारा किसी अन्य न्यायाधीश को आवंटित न की गई हो।</p>
---	-----------------------------------	-----------------------	---

5	जिला न्यायाधीश प्रथम, कोतमा	तहसील- कोतमा	1	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोतमा एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत अपीलें।
			2	व्यवहारवाद मूल्यांकित रूपये एक करोड़ से रूपये दस करोड़ तक वाद एवं उनसे संबंधित वाद।
			3	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलें।
			4	इन्सालवेंसी केस रूपये दस लाख से अधिक एवं रूपये बीस लाख तक।
			5	रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी के आदेश के विरुद्ध अपील।
			6	अन्य दावे, कार्यवाहियां या अपीलें, जो कोतमा के क्षेत्राधिकार के उत्पन्न हुए हों तथा इस आदेश के द्वारा किसी अन्य न्यायाधीश को आवंटित न की गई हो।
			7	विवाह विच्छेद अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम एवं अन्य दांपत्य विवाद, जो तहसील कोतमा की सीमा के उत्पन्न वाद (प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय अनूपपुर के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
			8	समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए गए प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
6	जिला न्यायाधीश द्वितीय, कोतमा	तहसील-कोतमा	1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कोतमा के न्यायालय के आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत अपीलें।
			2	व्यवहारवाद मूल्यांकित रूपये दस करोड़ से अधिक किन्तु रूपये बीस करोड़ तक के वाद एवं उनसे संबंधित विविध वाद एवं निष्पादन।
			3	प्रकरण अंतर्गत आर्बिट्रेशन एक्ट, जिसमें वाद का मूल्यांकन रूपये एक से अधिक किन्तु रूपये बीस लाख तक एवं उनसे संबंधित विविध वाद एवं निष्पादन।
			4	लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के अंतर्गत वाद एवं रिफ्रेन्सेस
			5	म.प्र. म्युनिसिपल एक्ट 1961 की धारा 172 (3) के अधीन अपील।
			6	गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत वाद।
			7	इन्सालवेंसी केस रूपये एक से रूपये दस लाख तक।
			8	लघुवाद प्रकरण रूपये पांच सौ से अधिक एवं रूपये एक हजार तक (अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्राधिकृत)

			9	कोतमा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील (अधिनियम की धारा 9 के अनुसार)।
			10	समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए गए प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अनूपपुर	तहसील- अनूपपुर	1	रूपये पाँच लाख से अधिक परंतु रूपये एक करोड़ तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ।
			2	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ।
			3	म्यूनिसिपल एक्ट 1961 की धारा 139 एवं 172(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।
			4	लघुवाद प्रकरण रूपए तीन सौ एक से रूपए पांच सौ तक।
			5	रूपए दस लाख तक के इन्साल्वेंसी प्रकरण।
			6	आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रूपए पांच लाख मूल्यांकन तक के वाद एवं उनसे संबंधित वाद कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन।
			7	इस आदेश द्वारा वे कार्य, जो अन्य व्यवहार न्यायाधीश को आवंटित नहीं किया गया है।
			8	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
8	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अनूपपुर	तहसील- जैतहरी	1	रूपये पाँच लाख से अधिक परंतु रूपये एक करोड़ तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ।
			2	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ।
			3	म्यूनिसिपल एक्ट 1961 की धारा 139 एवं 172(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।
			4	लघुवाद प्रकरण रूपए तीन सौ एक से रूपए पांच सौ तक।
			5	रूपए दस लाख तक के इन्साल्वेंसी प्रकरण।
			6	आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रूपए पांच लाख मूल्यांकन तक के वाद एवं उनसे संबंधित वाद कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन।
			7	इस आदेश द्वारा वे कार्य, जो अन्य व्यवहार न्यायाधीश को आवंटित नहीं किया गया है।
			8	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।

9	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर	तहसील-जैतहरी	1	रूपए 01 से रूपए 05 लाख तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के व्यवहार-वाद तथा उससे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	रूपये दो सौ एक से रूपये तीन सौ तक मूल्यांकन तक के लघुवाद।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों।
10	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर	तहसील-अनूपपुर	1	रूपये एक से रूपये पाँच लाख तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के व्यवहार-वाद तथा उससे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	रूपये एक से रूपये दो सौ तक मूल्यांकन तक के लघुवाद।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए प्रकरण।
			4	पूर्व में पदस्थ ऐसे समस्त न्यायाधीश जिनके न्यायालय वर्तमान में प्रभाव में नहीं है, उन न्यायालयों के ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियों जो अपीलीय न्यायालयों से निराकृत की गई हों।
11	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राजेन्द्रग्राम	तहसील पुष्पराजगढ़	1	रूपये पांच लाख से अधिक एवं रूपये एक करोड़ तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के व्यवहारवाद तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	रूपये दो सौ से अधिक एवं रूपये पांच सौ तक के लघुवाद।
			3	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन प्रस्तुत कार्यवाहियां।
			4	इन्साल्वेंसी के रूपये दस लाख मूल्यांकन तक के प्रकरण।
			5	आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रूपये दस लाख तक के मूल्यांकन के दावे एवं उनसे संबंधित विविध वाद एवं निष्पादन कार्यवाहियां।
			6	पुष्पराजगढ़ तहसील में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवंटित न किए गए अन्य कार्य।
			7	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित वाद एवं अन्य कार्यवाहियां।
			8	उक्त न्यायालय के रिक्त होने तक की अवधि में कमांक 01 से कमांक 07 तक दर्शित समस्त प्रकरण व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

12	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राजेन्द्रग्राम	तहसील पुष्पराजगढ़	1	रूपये एक से रूपये पांच लाख तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के व्यवहारवाद तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	रूपये एक से रूपये दो सौ तक के मूल्यांकन के लघुवाद।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित वाद एवं अन्य कार्यवाहियां।
13	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोतमा	तहसील कोतमा	1	रूपये पाँच लाख से अधिक एवं रूपये एक करोड़ तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के व्यवहारवाद तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	रूपये तीन सौ से अधिक एवं रूपये पांच सौ तक के लघुवाद।
			3	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन प्रस्तुत कार्यवाहियां।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित वाद एवं अन्य कार्यवाहियां।
14	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोतमा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश कोतमा	--	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित वाद एवं अन्य कार्यवाहियां।
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कोतमा	तहसील कोतमा	1	एक रूपये से रूपये पाँच लाख तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के व्यवहारवाद तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	रूपये एक से रूपये तीन सौ तक मूल्यांकन के लघुवाद।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित वाद एवं अन्य कार्यवाहियां।

मोटर दावा दुर्घटना से उत्पन्न प्रकरण

1	2	3	4	5
1	प्रधान सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर	तहसील-अनूपपुर एवं जैतहरी	1	तहसील अनूपपुर एवं जैतहरी के अंतर्गत स्थित थानों के क्षेत्राधिकार में हुए वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावे जिनमें बीमा हों एवं उससे संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।
2	प्रथम सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर	तहसील-अनूपपुर	1	तहसील अनूपपुर के अंतर्गत स्थित थानों के क्षेत्राधिकार में हुए वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावे जिनमें बीमा न हो से संबंधित दावे एवं उससे संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।
			2	प्रधान सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर द्वारा अंतरित वाहन दुर्घटनाओं के प्रकरण।
3	द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर	तहसील-जैतहरी	1	तहसील जैतहरी के अंतर्गत स्थित थानों के क्षेत्राधिकार में हुए वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावे जिनमें बीमा न हो से संबंधित दावे एवं उससे संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।
			2	प्रधान सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर द्वारा अंतरित वाहन दुर्घटनाओं के प्रकरण।
4	सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण राजेन्द्रग्राम	तहसील-राजेन्द्रग्राम	1	तहसील पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत स्थित थानों के क्षेत्राधिकार में हुए वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावे।
			2	प्रधान सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर द्वारा अंतरित वाहन दुर्घटनाओं के प्रकरण।
5	प्रथम सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोतमा	तहसील-कोतमा थाना भालूमाड़ा एवं रामनगर	1	तहसील कोतमा के अंतर्गत स्थित थाना भालूमाड़ा एवं रामनगर के क्षेत्राधिकार में हुए वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित दावे।
			2	प्रधान सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर द्वारा अंतरित वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावे।
6	द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोतमा	तहसील-कोतमा थाना कोतमा एवं बिजुरी	1	तहसील कोतमा के अंतर्गत स्थित थाना कोतमा एवं बिजुरी में हुए वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित दावे।
			2	प्रधान सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर द्वारा अंतरित वाहन दुर्घटनाओं के प्रकरण।

आपराधिक कार्य

1	2	3	4	5
1	श्री एस.एस. परमार, सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	सत्र खण्ड अनूपपुर, तहसील जैतहरी (थाना भालूमाड़ा के क्षेत्र को छोड़कर)	1	सत्र प्रकरण, थाना-अनूपपुर, जैतहरी, चचाई, थाना अजाक एवं महिला थाना अनूपपुर से संबंधित।
			2	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 408, 409 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन।
			3	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			4	मुख्यालय अनूपपुर में स्थित न्यायालय-मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं समस्त न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालयों में पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण।
			5	जी0आर0पी0/आर0पी0एफ0 अनूपपुर थाने से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में रेल्वे मजिस्ट्रेट जबलपुर के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध अपील तथा पुनरीक्षण।
			6	धारा 438, 439 द0प्र0सं0 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। (एस. सी./एस.टी. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र किन्तु एन.डी.पी.एस., इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित आवेदनों को छोड़कर।)
			7	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत प्रकरणों की सुनवाई।
			8	खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीलें।
			9	किशोर न्याय-बोर्ड के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें।
			10	किशोर न्याय-बोर्ड द्वारा उपापिंत प्रकरण।
			11	पीठासीन अधिकारी, ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय अनूपपुर एवं कोतमा के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपील। (अंतर्गत धारा 34(1) ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008)
			12	सत्र खण्ड का अन्य कार्य जो सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हो।

2	श्री पंकज जायसवाल, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर		<p>1 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन, विविध कार्यवाही।</p> <p>2 म0प्र0 निपेक्षकों के हितों का संरक्षण 2000 से उत्पन्न प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन, विविध कार्यवाही।</p> <p>3 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विचारणीय समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन, विविध कार्यवाही।</p> <p>4 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन, विविध कार्यवाही।</p> <p>5 उपरोक्त मामलों से संबंधित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द0प्र0सं0।</p> <p>6 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p>
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद सेवेतिया, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर		<p>1 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से उद्भूत प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन, विविध कार्यवाही।</p> <p>2 बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार सह हत्या के प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए गए हों।</p> <p>3 उपरोक्त मामलों से संबंधित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द0प्र0सं0।</p> <p>4 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p>
4	श्री पवन शंखवार अपर सत्र न्यायाधीश, राजेन्द्रग्राम	तहसील पुष्पराजगढ़	<p>1 तहसील पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत स्थित समस्त स्थानों से उत्पन्न सत्र विचारणीय प्रकरण तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 के प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन तथा राजेन्द्रग्राम न्यायालय के न्यायिक दण्डाधिकारियों के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उत्पन्न अपीलें एवं पुनरीक्षण।</p> <p>2 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p>

5	श्री जयसिंह सरौते प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कोतमा	तहसील कोतमा	1	तहसील कोतमा के अंतर्गत स्थित थाना कोतमा एवं थाना बिजुरी से उत्पन्न सत्र प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			2	श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी एवं सुश्री वर्षा भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उत्पन्न दाण्डिक अपील एवं पुनरीक्षण।
			3	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
6	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, कोतमा (रिक्त न्यायालय)	तहसील कोतमा	1	थाना कोतमा, भालूमाड़ा, बिजुरी एवं रामनगर के क्षेत्रांतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण एवं उससे संबंधित जमानत आवेदन एवं अन्य विविध कार्यवाही।
			2	तहसील कोतमा के अंतर्गत स्थित थाना रामनगर एवं थाना भालूमाड़ा से उत्पन्न सत्र विचारणीय प्रकरण एवं जमानत आवेदन।
			3	सुश्री गुंजन गौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उत्पन्न दाण्डिक अपील एवं पुनरीक्षण।
			4	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।

न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य संपादन हेतु निर्देश

सिविल कोर्ट एक्ट 1961 की धारा 21(4) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यरत पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में आवश्यक सिविल एवं सत्र कार्य संपादित करने के लिए निम्नानुसार आदेश किया जाना प्रस्तावित है :-

अनुलग्न "अ"

क्र.	न्यायाधीश का पदनाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	जिला न्यायाधीश प्रथम एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर	जिला न्यायाधीश द्वितीय एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर
2	जिला न्यायाधीश प्रथम, एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर	जिला न्यायाधीश द्वितीय एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर
3	जिला न्यायाधीश द्वितीय एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	जिला न्यायाधीश प्रथम, एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर
4	जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश, राजेन्द्रग्राम	जिला न्यायाधीश प्रथम, एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर	जिला न्यायाधीश द्वितीय एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर
5	जिला न्यायाधीश प्रथम एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोतमा	जिला न्यायाधीश द्वितीय एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोतमा	जिला न्यायाधीश द्वितीय एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर
6	जिला न्यायाधीश द्वितीय एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोतमा	जिला न्यायाधीश प्रथम एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोतमा	जिला न्यायाधीश द्वितीय एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अनूपपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अनूपपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अनूपपुर
8	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अनूपपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अनूपपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अनूपपुर
9	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अनूपपुर
10	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अनूपपुर
11	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, राजेन्द्रग्राम	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, राजेन्द्रग्राम	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर
12	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, राजेन्द्रग्राम	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, राजेन्द्रग्राम	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर
13	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोतमा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोतमा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोतमा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कोतमा

14	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोतमा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोतमा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोतमा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कोतमा
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कोतमा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोतमा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोतमा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोतमा

- टीप :-01. उक्त सारणी में प्रथम एवं द्वितीय अधिकृत दोनों न्यायाधीश के अवकाश पर होने पर मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।
02. जिला न्यायाधीश द्वितीय एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा के न्यायालय के रिक्त रहने तक की अवधि में उनके न्यायालय के समस्त आवश्यक कार्य जिला न्यायाधीश प्रथम एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा के द्वारा संपादित किया जावेगा।

(एस.एस. चरमा) -

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अनूपपुर, म.प्र.

पृष्ठां. क्रमांक 782 / एक-02-01 / 2011

अनूपपुर, दिनांक 13.05.2023

प्रतिलिपि यथा आदेश :-

- 1- श्री पंकज जायसवाल, जिला न्यायाधीश प्रथम अनूपपुर,
- 2- श्री आर.पी. सेवेतिया, जिला न्यायाधीश द्वितीय अनूपपुर,
- 3- श्री जयसिंह सरोते, जिला न्यायाधीश प्रथम कोतमा,
- 4- जिला न्यायाधीश द्वितीय कोतमा, - रिक्त न्यायालय,
- 5- श्री पवन शंखवार, जिला न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम,
- 6- श्री महेन्द्र कुमार उइके, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अनूपपुर,
- 7- श्री रामअवतार पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अनूपपुर,
- 8- सुश्री अंजली शाह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अनूपपुर,
- 9- सुश्री शिवानी असाटी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अनूपपुर,
- 10- श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कोतमा,
- 11- सुश्री वर्षा भलावी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कोतमा,
- 12- सुश्री गुंजन गौर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कोतमा,
- 13- श्री राहुल छत्री, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी राजेन्द्रग्राम,
- 14- प्रस्तुतकार- न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर, की ओर, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 15- जे.एस.ए. कम्प्यूटर अनुभाग की ओर समस्त न्यायिक अधिकारियों के ई-मेल पते पर अपलोड किए जाने के निर्देश के साथ प्रेषित।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अनूपपुर, म.प्र.